क्रमांक / जिडिफाप्रालि / वनभूमि / व्यपवर्तन / 2020 / 109A

दिनांक 14.12.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
राजनांदगांव वनमंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division of Rajnandgaon District of Chhattisgarh State, Area- 2.963 ha.**
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम. – 115-890A/2806 रायपुर दिनांक 16.11.2021

2. आपका पत्र क्रमांक / तक. अधि. / 03 / 9896 राजनांदगांव, दिनांक 06.12.2021

———0———

विषयांतर्गत राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा –गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा– फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली– डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के प्रस्तुत प्रस्ताव में संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों का विवरण प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक–2 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव मूलतः वापस करते हुए उक्त कमियों के निराकरण हेतु आपने निर्देशित किया है, अतः बिन्दुवार कमियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है :–

ऑनलाईन कमियां एवं निराकरण :–

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वनभूमि की एन.ओ.सी. प्राप्त हो गया है, तो ऑनलाईन Form A Part-I के कॉलम न. K पर	कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आनलाईन अपलोड किया गया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) के पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / विविध / 115-718/724 दिनांक 12.03.2021 के

	आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।	निर्देशानुसार FRA प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति उपरान्त अपलोड किया जावेगा।
2	Form A Part-II के कॉलम नं. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। सुधार कर पुनः अपलोड करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है। भाग–2 वनमंडलाधिकारी के माध्यम से पूर्ण किया जावेगा।
3	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, का लेख किया गया है, परंतु ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-1 (IX) में गैर वनभूमि–13.178 हेक्टेयर का उल्लेख है एवं फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-D(i) में अपलोड (Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी. वनक्षेत्र है) ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वनभूमि सम्मिलित है, यह स्पष्ट होता है। गैर वनभूमि का पूर्ण विवरण गांववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में साथ संलग्न करें।	ग्रामवार गैर वनभूमि का विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–4 के साथ संलग्न है।
4	छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007–10–2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331-29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं अपलोड़ करें।	डी.जी.पी.एस. सर्वे के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर कर पुनः प्रस्तुत है।
5	एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के.एम.एल.	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।

	फाईल/ शेप फाईल से मिलान का सत्यापन संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार /तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	
6	आवेदित वनभूमि का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के. एम.एल./शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जावें, इस बाबत् भी सत्यापन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।
7	संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के. एम. एल. फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग से संबंधित है।

ऑफलाईन कमियां एवं निराकरण :–

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वनभूमि का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक B-2.1 में गैर वनभूमि–13.178 हेक्टेयर दर्शाया गया है– स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वनभूमि 13.178 हेक्टेयर का विवरण संलग्न करें।	प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक–4 में ग्रामवार गैर वनभूमि का विवरण संलग्न है।

2	चेक लिस्ट क्रमांक–11 : भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, जिसे अंकित करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.), रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित्।